सेवानिवृत्ति लाभों की जानकारी KNOW YOUR RETIREMENT BENEFITS



दक्षिण मध्य रेलवे कार्मिक विभाग, प्रधान कार्यालय South Central Railway Personnel Department, Headquarters

दावा अस्वीकार

यह पुस्तिका केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है और यह किसी प्रकार से पूर्ण नहीं है. इस पुस्तिका के प्रकाशन का उद्देश्य, इस विषय पर नियम, कार्यविधि और वर्तमान अनुदेशों/दिशा-निर्देशों का विकल्प प्रस्तुत करना नहीं है. इसमें दिए गए उपबंध, किसी भी रेलवे नियमावली और परिपत्रों में निहित नियमों का अधिक्रमण नहीं करते हैं. इस पुस्तिका को किसी भी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जाए और जहां कहीं आवश्यक हो, इस विषय पर मूल आदेश देखें.

इस पुस्तिका में उल्लेख किए गए सभी सेवांत निपटान <u>01.01.2004</u> के पूर्व नियुक्त कर्मचारियों के लिए लागू हैं. **[दि.01.01.2004 के बाद नियुक्त सभी कर्मचारी नई पेंशन** योजना द्वारा शासित होंगे.]

DISCLAIMER

The booklet is only indicative and is by no means exhaustive. Nor it is intended to be a substitute for Rules, Procedures and existing instructions/guidelines on the subject. The provisions herein do not in any way supersede the Rules contained in any of the Railway Codes and the circulars. This booklet also should not be produced in any court of law and wherever necessary, reference should always be made to the original orders on the subject.

All the Settlement dues mentioned in this booklet are applicable to those appointed prior to $\underline{01.01.2004}$. [All those appointed after 01.01.2004 are covered under New Pension Scheme].

PERSONAL PROFILE

Name	•		
Permanent Address	:		
	•		
PPO No.	:		
Tel: (Res.)	:		
Mobile	:		
Blood Group	:		
Family Details		Name	DoB
(a) Self		Nume	DOD
(b) Wife			
(c) Son	:		
(d) U/m Daughter	:		
PAN No.	:		
Bank Account No.	:		
Name of the Bank	:		
Name of the Branch	:		
RELHS Registration No.	:		
Railway Hospital and Station	:		

मनोज पांडे, मुख्य कार्मिक अधिकारी MANOJ PANDE IRPS CHIEF PERSONNEL OFFICER दक्षिण मध्य रेलवे चौथी मंजिल, रेल निलयम, सिकंदराबाद South Central Railway 4th Floor, Rail Nilayam Secunderabad - 500 071

संदेश

मुझे यह बताते हुए गर्व हो रहा है कि सेवानिवृत्त/सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए दक्षिण मध्य रेलवे के प्रधान कार्यालय का कार्मिक विभाग "सेवानिवृत्ति लाभों की जानकारी" नामक एक पुस्तिका का प्रकाशित कर रहा है.

यह पुस्तिका, रेलवे कर्मचारियों के लिए सेवा के दौरान और सेवानिवृत्ति के बाद भी अत्यंत सहायक सिद्ध होगी. इसमें सेवानिवृत्ति के समय किए जाने वाले कार्यों की जानकारी दी गई है और यह कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाले लाभों की जानकारी उदाहरण सहित उपलब्ध कराएगी.

इस पुस्तिका का विमोचन पेंशनभोगियों के लाभार्थ 26वीं पेंशन अदालत, 2011 के अवसर पर किया जा रहा है. इसके लिए मैं, उन सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई देता हूं, जिनके सहयोग का उल्लेख "आमुख" में किया गया है.

हमेशा की तरह, आपके सुझाव, आमंत्रित हैं.

(मनोज पांडे)

INDUAL SECTION OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY

Manoj Pande, IRPS Chief Personnel Officer South Central Railway 4th Floor, Rail Nilayam Secunderabad.

MESSAGE

I am proud to state that Personnel Department of South Central Railway Headquarters is bringing out "Know Your Retirement Benefits" – a booklet for retired/retiring staff.

This book will be most helpful to the Railwaymen, both while in service as well as after retirement. It has brought out all the steps to be taken at the time of retirement and enables employees to know their post retirement benefits with illustrations.

This booklet is being released on the occasion of 26th Pension Adalat (2011) for the benefit of the pensioners, for which I congratulate the entire team of officers and staff whose contributions are duly acknowledged in the foreword.

Any suggestions, as always, are most welcome.

(Manoj Pande)

आमुख

सभी रेलकर्मी अपने पूरे सेवाकाल के दौरान, भारतीय रेल के विकास के लिए अपनी समर्पित सेवाएं अर्पित करते हैं. अधिकतर रेलकर्मी, अधिवार्षिता की आयु होने पर अपने सेवानिवृत्ति लाभों के बारे में जानने के लिए उत्सुक रहते हैं.

पेंशन नियम अनेक हैं और ये समय-समय पर बदलते रहते हैं. इनमें होने वाले परिवर्तनों के साथ-साथ सेवानिवृत्ति लाभों की जानकारी भी अत्यंत आवश्यक है. अधिकतर मामलों में सेवानिवृत्त होनेवाले/सेवानिवृत्त कर्मचारियों के मन में यह संदेह रहता है कि क्या उनके लिए उपलब्ध सभी लाभ वे उठा पा रहे हैं या नहीं.

इस परिपत्र में, रेलकर्मी की सेवा समाप्त होने/उसकी मृत्यु होने पर मिलने वाले विविध-लाभों के बारे में जानकारी, लेखा का प्रयास किया गया है ताकि सेवानिवृत्त होने वाले/सेवानिवृत्त कर्मचारी पूरे विश्वास के साथ इस बात की जांच कर संतुष्ट हो सकें कि उन्हें नियमों के अनुसार सभी लाभ दिए जा रहे हैं.

ऐसे रेल कर्मियों के लाभार्थ, जो पढ़े-लिखे हैं और केवल अपनी मातृ भाषा की जानते हैं, इस पुस्तिका का प्रकाशन तीन भाषाओं में अर्थात् हिंदी, अंग्रेजी और तेलुगु में किया जा रहा है.

इस पुस्तिका में मुख्यतया "रेलकर्मी के सेवा में रहते हुए की जाने वाली कार्रवाई, सेवानिवृत्ति से पूर्व की जानेवाली कार्रवाई, सेवानिवृत्ति के उपरांत दिए जाने वाले लाभ और सेवानिवृत्ति से संबंधित विभिन्न मुद्दों के बारे में बताया गया है."

में श्री मनोज पांडे, मुख्य कार्मिक अधिकारी को साधुवाद/धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस पुस्तिका की तैयारी में अपना प्रोत्साहन और मार्गदर्शन दिया और मैं डॉ. एच.श्रीनिवास, उप मुकाधि/श्रम शक्ति योजना व सूचना प्रौद्योगिक को भी धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने मुझे और मेरी टीम को अपना अमुल्य सहयोग दिया.

में, श्रीमती सूर्य कुमारी, काधी/सेवांत निपटान, श्रीमती शोभा देवी, कनिष्ठ लिपिक और श्री सत्य प्रकाश, कर्मचारी व कल्याण निरीक्षक/सेवांत निपटान को इस पुस्तिका के संकलन में अपनी सहायता प्रदान करने तथा श्री डी.नरसिंह, काधी/कंप्यूटर, श्री एम.बालाजी राव, आशुलिपिक-। को उनकी सहायता के लिए धन्यवाद देता हूं.

में श्रीमती मंगला अभ्यंकर, उप महाप्र/राजभाषा और उनके कर्मचारियों के प्रति भी आभार व्यक्त करना चाहूंगा जिन्होंने इस पुस्तिका को राजभाषा हिंदी में अनूदित करने में अपना योगदान दिया है. मैं श्री जे.सत्यनारायण, प्रिंसिपल, रेलवे मिक्सड हाई स्कूल, साऊथ लालागुडा को भी धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस पुस्तिका का तेलुगु में अनुवाद किया है.

में यह आशा करता हूं कि यह पुस्तिका रेलकर्मियों के लिए काफ़ी लाभप्रद सिद्ध होगी.

एम.बी.मुरलीधर सकाधि/बिल/प्र.का.

FOREWORD

All the Railway men serve dedicatedly for the development of the Indian Railway throughout their service. Most of the Railway men will be anxious to know their retirement benefits on attaining the age of superannuation.

Pension Rules are voluminous and will be changing from time to time. It is very essential to know these changes as well as retirement benefits. In most of the cases the retiring/retired employees are in doubt as to whether all the benefits due to them are availed or not.

An effort has been made to enumerate the various benefits on cessation from service/death so that retiring/retired employees would be confident to check and satisfy that all the pensionary benefits are granted as per the rules.

For the benefit of the Railway employees those who are literate and knowing only mother-tongue, this booklet is brought out in trilingual viz., Hindi, English and Telugu.

This booklet broadly brought out about 'Action to be taken while in service, Action to be taken prior to Retirement, Post Retirement Benefits and Post Retirement Issues'.

I thank Shri Manoj Pande, Chief Personnel Officer for encouraging and giving guidance and I also thank Dr. H. Srinivas, Dy. CPO/MPP&IT for his valuable support rendered to me and my team in preparation of this booklet.

I thank Smt. Surya Kumari, OS/Settlement, Smt. Shobha Devi, Jr. Clerk and Shri Satya Prakash, S&WI/Settlement for rendering assistance in compiling this booklet and Shri D. Narasimha, OS/Computers, Shri M. Balaji Rao, Steno-I for their assistance.

I thank Smt. Mangala Abhayankar, DGM/Rajbasha and her staff rendering their assistance in translating into Rajbhasha and Shri J. Satyanarayana Rao, Principal, Railway Mixed High School, South Lallaguda for translating into Telugu Language. I also thank Shri P.M. Mohanan, Sr. Manager (P&S) and his team for printing the booklet in time.

It is hoped that this booklet would be of use for the Railway men at large.

M. B. Muralidhar APO/Bills/HQrs.

विषयसूची

विषय	पृष्ट सं.
सामान्य	1
सेवा के दौरान की जानेवाली कार्रवाई	2
सेवानिवृत्ति से पहले की जानेवाली कार्रवाई	2
सेवानिवृत्ति लाभ	3
अर्हक सेवा	5
पेंशन की गणना कैसे की जाती है?	6
पेंशन के लिए पात्र कौन-कौन हैं ?	6
पेंशन का संराशीकरण	6
परिवार पेंशन	8
सेवानिवृत्ति उपदान	9
भविष्य निधि	11
छुट्टी नकदीकरण	11
केंद्र सरकार कर्मचारी समूह बीमा योजना	11
क्वार्टर रोक रखना	12
चिकित्सा सुविधाएं.	12
सेवानिवृत्ति उपरांत लाभ	13
सेवानिवृत्ति उपरांत मामले	14
सेवा में रहते समय कर्मचारी की मृत्यु के मामले में,	14
कर्मचारी के परिवार को क्या जानकारी रखनी है?	
याद रखने योग्य मदें	15

INDEX

SUBJECT	Page No.
General	17
Action to be taken while in service	18
Action to be taken prior to Retirement	18
Retirement Benefits	20
Qualifying Service	21
How Pension is calculated?	22
Who are eligible for Pension	23
Commutation of Pension	23
Family Pension	25
Retirement Gratuity	27
Provident Fund	28
Leave Encashment	29
CGEIS	29
Retention of Railway Quarters	30
Medical Facilities	31
Post Retirement Benefits	32
Post Retirement Issues	33
In the event of death of employee in service,	34
what the party should know?	
Points to be Remembered	34
GP 46 Proforma	36
Life Certificate Profroma	37

किस पृष्ठ पर देखें

विषय संक्षेप में		पृष्ठ सं.	पैरा सं.
सेवा छोड़ने की पद्धति		2	2.1
नामांकन		2	2.2
सेवानिवृत्ति की योजना		2	2.3
पेंशन भुगतान की पद्धि	ते	2	3.1
फोटोग्राफ		2	3.2
स्थायी आवास का पता		3	3.3
परिवार का ब्यौरा		3	3.4
पेंशन		3	4.1
	अधिवार्षिता पेंशन		4.2.1
	सेवानिवृत्ति पेंशन	4	4.2.2
पेंशन के प्रकार	अयोग्य पाये जाने पर पेंशन	4	4.2.3
אויו אי איויו	क्षतिपूर्ति पेंशन		4.2.4
	अनिवार्य सेवानिवृत्ति पेंशन	5	4.2.5
	अनुकंपा के आधार पर भत्ता	5	4.2.6
अर्हक सेवा		5	5.0
पेंशन की गणना के लि		6	6.1
	शन की गणना के लिए फार्मूला	6	6.2
	की गणना के लिए फार्मूला	6	8.2
पेंशन के संराशीकृत मू		7	8.3
परिवार पेंशन की गणन		8	9.1
बढ़ाया गया परिवार पेंशन		8	9.2
परिवार पेंशन प्राप्त कर	ने के लिए परिवार के सदस्यों की पात्रता	8	9.3
लापता कर्मचारी		8	9.3.5.1
उपदान की गणना के लिए फार्मूला		9	10.2.2
उपदान से वसूली		10	10.3
भविष्य निधि		11	11.0
	की गणना के लिए फार्मूला	11	12.0
	ां रेलवे क्वार्टर रोक रखना	12	14.1.1
मृत्यु के मामले में रेलवे		12	14.1.2
रेलवे क्वार्टरों का नियमितीकरण		12	14.2
सेवानिवृत्त कर्मचारी उदारीकृत स्वास्थ्य योजना		12	15.1
चिकित्सा भत्ता		13	15.2
कंपोजिट स्थानांतरण अनुदान		13	16.1
विशेष पास		13	16.2
सेवांत पास		13	16.3
सेवानिवृच्ति उपरांत मानार्थ पास		13	16.4
सेवा प्रमाण-पत्र		14	17.1
बैंक द्वारा पेंशन का भुगतान		14	17.2
जीवन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना		14	17.3

WHERE TO FIND?

Subjects in Brief		Page No.	Para No.
Modes of leaving	Service	18	2.1
Nomination		18	2.2
Planning for Reti	rement	18	2.3
Mode of Pension	Payment	18	3.1
Photographs		18	3.2
Permanent Resid	lential Address	19	3.3
Family Details		19	3.4
Pension		20	4.1
	Superannuation Pension		4.2.1
	Retiring Pension	20	4.2.2
Types of	Invalid Pension		4.2.3
Pension	Compensation Pension	21	4.2.4
	Compulsory Retirement Pension	21	4.2.5
	Compassionate Allowance		4.2.6
Qualifying Servic	e e	21	5.0
Formula for calcu	ulating Pension	22	6.1
Formula for calcu	ulating Commutation of Pension	23	8.2
Restoration of co	ommuted value of Pension	24	8.3
Calculation of Family Pension		25	9.1
Enhanced Family Pension		25	9.2
Entitlement of Family Members to receive Family Pension		25	9.3
Missing employee		26	9.3.5.1
Formula for calculating Gratuity		27	10.2.2
Recoveries from Gratuity		28	10.3
Provident Fund		28	11.0
Formula for calcu	ulating Leave Encashment	29	12.0
	way quarters in case of Retirement	30	14.1.1
Retention of Rail	way quarters in case of Death	30	14.1.2
Regularisation of Railway Quarters		31	14.2
RELHS		31	15.1
Medical Allowance		31	15.2
Composite Transfer Grant		32	16.1
Special Pass		32	16.2
Settlement Pass		32	16.3
Post Retirement Complimentary Pass		32	16.4
Service Certificate		33	17.1
Payment of Pens	ion through bank	17	17.2
Submission of Lif	e Certificate	17	17.3

1.0 सामान्य

- 1.1 सभी केंद्रीय सरकार कर्मचारियों के लिए अधिवार्षिता पर सेवानिवृत्ति की निर्धारित आयु 60 वर्ष है.
- 1.2 अधिवार्षिता की आयु प्राप्त होने के महीने के अंतिम कार्यदिवस के अपराह्न से सेवानिवृत्ति लागू होगी.
- 1.3 कर्मचारी जिनकी जन्मतिथि उस माह की पहली तारीख है, वह पिछले माह के अंतिम दिवस के अपराह्न को सेवानिवृत्त होंगे.
- 1.4 अधिवार्षिता की आयु पर सेवानिवृत्ति की तारीख को कार्य दिवस के रूप में माना जाएगा.
- 1.5 समयपूर्व सेवानिवृत्ति/स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के मामले में, सेवानिवृत्ति की तारीख को अकार्य दिवस के रूप में माना जाएगा.
- 1.6 रेलवे क्वार्टर खाली न करने और विभागीय या न्यायिक कार्यवाही के लिए संपूर्ण उपदान रोक दिया जाएगा.
- 1.7 प्रत्येक वर्ष नवंबर माह में पेंशनभोगी/परिवार पेंशनभोगी द्वारा पेंशन वितरण प्राधिकारी को जीवन प्रमाण-पत्र दिया जाए.
- 1.8 मृत कर्मचारी के परिवार को तत्काल राहत (अंतिम संस्कार अग्रिम) के रूप में तीन महीने का मूल वेतन या 15,000/-रु. की राशि जो भी कम हो, देय होगा. यह राशि देय मृत्यु उपदान से वसूल किया जाएगा. (दमरे क्र.प. सं. 224/99)
- 1.9 पेंशनभोगी व परिवार पेंशनभोगी को मृत्यु की तारीख तक, पेंशन की गणना की जाएगी और भूगतान किया जाएगा.

निम्नलिखित पर मिलने वाले लाभ

सामान्य/स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति	मृत्यु
भविष्य निधि (अपना अंशदान)	भविष्य निधि (अपना अंशदान)
मासिक पेंशन	मासिक परिवार पेंशन
पेंशन का संराशीकरण	प्रतिभूति संबद्ध बीमा
सेवानिवृत्ति उपदान	मृत्यु उपदान
कें.स.क. समूह बीमा योजना	समूह बीमा (संपूर्ण बीमा का मूल्य + बचत
(बचत निधि मूल्य ब्याज सहित)	निधि मूल्य ब्याज सहित)
छुट्टी का नकदीकरण	छुट्टी का नकदीकरण
कॅपोजिट स्थानांतरण अनुदान	कंपोजिट स्थानांतरण अनुदान
सेवांत पास	सेवांत पास
सेवानिवृत्ति उपरांत पास	विधवा पास
से.क.उ.स्वा.यो., 1997 के अंतर्गत चिकित्सा	से.क.उ.स्वा.यो., 1997 के अंतर्गत चिकित्सा
सुविधाएं	सुविधाए
रेलवे क्वार्टरों को रोक रखना	रेलवे क्वार्टरों को रोक रखना
(केवल निर्धारित समय के लिए)	(केवल निर्धारित समय के लिए)
हालीडे होम और अधिकारी विश्राम गृह में	अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति
रहने की सुविधा	

2.0 सेवा के दौरान की जानेवाली कार्रवाई

2.1 सेवा छोड़ने की पद्धतियां :

- 2.1.1 सामान्य सेवानिवृत्ति : अधिवार्षिता की आयु प्राप्त करने पर (60 वर्ष पर).
- 2.1.2 कर्मचारी द्वारा खैच्छिक सेवानिवृत्ति.
- 2.1.3 अनुशासन व अपील नियम कार्रवाई के फलस्वरूप सेवा से हटाया जाना या अनिवार्य सेवानिवृत्ति.
- 2.1.4 सेवा के दौरान मृत्यू या चिकित्सा के आधार पर अयोग्य घोषित करना.
- 2.1.5 उक्त सभी मामलों में कुछ राशि देय होगी. (प्रत्येक मामले के लिए भिन्न राशि), जिन्हें सेवांत निपटान देय के रूप में जाना जाता है.

2.2 **नामांकन** :

प्रत्येक रेल कर्मचारी को चाहिए कि वे सेवाकाल के दौरान निर्धारित फार्म में अपना नामांकन प्रस्तुत करें, जिसमें उन नामित व्यक्तियों के नामों का उल्लेख हो, जिन्हें कर्मचारी की मृत्यु आदि होने के मामले में मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति उपदान (डीसीआरजी) भविष्य निधि, केंद्रीय सामूहिक बीमा योजना आदि जैसे विभिन्न सेवांत निपटान देय का भुगतान किया जाना है. यह भी सुनिश्चित किया जाए कि निष्पादित नामांकन की प्रतियां, सेवा रिकार्डों और लेखा विभाग में उपलब्ध करायी जाती हैं

2.3 सेवानिवृत्ति के लिए योजना

रेल कर्मचारी, 20 वर्षों की अर्हक सेवा पूरी करने के बाद कम से कम तीन महीने के पहले लिखित रूप में नियुक्ति प्राधिकारी को सूचना देते हुए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले सकते हैं. (प्राधिकार : रेल सेवा (पेंशन) नियम, 1993 का नियम 67)

3.0 सेवानिवृत्ति से पहले की जानेवाली कार्रवाई

3.1 पेंशन भुगतान की पद्धति

कर्मचारों द्वारा सेवानिवृत्ति के बाद आवास स्थान का निर्णय किए जाने के बाद पेंशन के भगुतान की पद्धित का भी निर्णय लिया जाए. पेंशन राष्ट्रीयकृत बैंक या डाक कार्यालयों के जिरए प्राप्त किया जा सकता है. कर्मचारी को चाहिए कि वे अपने पेशन खाता का विवरण विशेष रूप से प्रस्तुत करें.

3.2 फोटोग्राफ

सेवानिवृत्त हो रहे कर्मचारी द्वारा पेंशन के लिए स्वयं और उसके/उसकी पित/पत्नी के 5 पासपोर्ट आकार के जाइंट फोटोग्राफ तथा फोटो पहचान पत्र जारी करने के लिए एक स्टैंप साइज फोटो प्रस्तुत किया जाए. संराशीकरण फार्म और सेवा प्रमाण पत्र के लिए कर्मचारी के पांच अलग-अलग फोटोग्राफ प्रस्तुत किए जाएं. चिकित्सा पहचान पत्र के लिए 21 वर्ष आयु के बेरोजगार पुत्र को शामिल कर सभी पात्र परिवार सदस्यों के एक सेट के एक-एक फोटोग्राफ भेजे जाएं. इसी प्रकार, सेवानिवृत्ति उपरांत मानार्थ पास हेतु पहचान पत्र के प्रयोजन के लिए स्वयं और पात्र परिवार के सदस्यों के अलग-अलग फोटोग्राफ के दो सेट भी भेजे जाएं.

3.3 स्थायी आवास पता

भविष्य में कोई भी सूचना देने के लिए कर्मचारी, अपने स्थायी आवास का पता, भी दें, जहां कहीं भी वे सेवानिवृत्ति के बाद रहना चाहते हैं.

3.4 परिवार का विवरण

कर्मचारी, अपने परिवार के सदस्यों का विवरण, इस पुस्तिका के अनुबंध-॥। में दिए गए फार्म में, उनकी जन्मतिथि और पहचान चिह्न के साथ दें.

उपर्युक्त के अलावा निम्नलिखित मदों की जांच द्वारा सेवानिवृत्ति देय का शीघ्र भुगतान किया जा सकेगा.

- 3.5 क्या भविष्य निधि खाता संपूर्ण है. यदि कर्मचारी का स्थानांतरण, एक या इससे अधिक बार हुआ हो, तो सभी यूनिटों से कटौतियों का विवरण, उनकी सेवानिवृत्ति के अंतिम यूनिट को भेजा जाना चाहिए.
- 3.6 क्या छुट्टी लेखे को, सभी क्रेडिट और डेबिट सहित अद्यतन किया गया है.
- 3.7 क्या सेवा भंग की अवधि को, यदि हो, नियमित किया गया है.
- 3.8 क्या सेवापंजी, सही मायने में, संपूर्ण है.
- 3.9 क्या भविष्य निधि, सामूहिक बीमा योजना तथा उपदान के लिए नामांकन दिया गया है.
- 3.10 क्या नामांकन, अद्यतन है और इसमें कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है.
- 3.11 क्या सरकारी आवास को समय पर खाली कर दिया गया है.
- 3.12 क्या कोई अनुअनि. मामला लंबित है.
- 3.13 क्या प्रशासन द्वारा जारी धातु पास (अधिकारियों के मामले में)/ड्यूटी कार्ड पास को अभ्यर्पित किया गया है.
- 3.14 क्या किसी निलंबन अवधि का नियमितीकरण किया जाना है.
- 3.15 क्या रेलवे को देय सभी राशि अर्थात् ऋण, अग्रिम आदि का ब्याज सहित भुगतान किया गया है.

4.0 सेवानिवृत्ति लाभ

4.1 पेंशन

यह रेल कर्मचारियों के लिए उनकी सेवानिवृत्ति पर दिया जानेवाला मासिक वेतन है जिनकी अर्हक सेवा दस वर्ष से कम न हो. पेंशन की राशि कर्मचारी द्वारा की गई अर्हक सेवा और प्राप्त अंतिम मूल वेतन और ग्रेड वेतन पर आधारित है.

उच्चतम न्यायालय के पूर्ण न्यायपीठ ने अपने ऐतिहासिक निर्णय में यह घोषित किया है कि पेंशन किसी व्यक्ति को शिष्ट, स्वतंत्र और आत्म सम्मान के साथ जीने और सेवानिवृत्ति पूर्व स्तर के समकक्ष जीने के लिए मददगार है. पेंशन उदारदान नहीं है जिसे सरकार के सद्भाव और चाह पर भुगतान किया जाता है. अधिवार्षिता का अधिकार, इसकी राशि सहित एक ऐसा अमूल्य अधिकार है जो सरकारी सेवक के पास निहित है. [डी एस नकारा बनाम भारत संघ 1983 1 एस एल आई]

इसके आगे विभिन्न केंद्रीय वेतन आयोगों ने यह घोषित किया है कि पेंशन सेवानिवृत्त कर्मचारियों का सांविधिक, अन्य - असंक्राम्य, विधिक तौर पर प्रवर्तनीय अधिकार है और यह उनके द्वारा किए गए अच्छे कार्यों के कारण अर्जित है.

4.2 पेंशन के प्रकार

4.2.1 अधिवार्षिकी पेंशन

इसे उन कर्मचारियों को मंजूर किया जाता है जो सरकार द्वारा नियत अधिवार्षिता आयु अर्थात् 60 वर्ष प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त होते हैं.

4.2.2 निवृत्ति पेंशन

ऐसे कर्मचारी को, जो अधिवार्षिता की आयु प्राप्त करने से पूर्व सेवानिवृत्त हुए हो या होता है, निवृत्ति पेंशन मंजूर की जाएगी. यह पेंशन, 20 वर्ष या इससे अधिक अर्हक सेवा पूरी करने पर पूर्ण राशि मंजूर की जाएगी.

4.2.3 अशक्त पेंशन

ऐसे रेल सेवकों को, जो किसी भी प्रकार के शारीरिक या मानसिक अशक्तता के कारण सेवा में निरंतर स्थायी रूप से बने रहने में अक्षम होने से सेवानिवृत्त हुए हो, अशक्त पेंशन मंजूर की जाएगी. इसकी मंजूरी के लिए कर्मचारी को विधिवत् गठित चिकित्सा प्राधिकरण से प्राप्त चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा.

424 प्रतिकर पेंशन

किसी रेल सेवक को उक्त पेंशन, उनके स्थायी पद की समाप्ति के कारण ड्यूटियों से उन्हें भारमुक्त किए जाने तथा उनके वर्तमान पद के समकक्ष दूसरे पद पर उनकी नियुक्ति किए जाने तक, मंजूर की जाती है. कर्मचारी को पेंशन के लिए उनको प्रस्तावित इस प्रकार के वैकल्पिक पद को स्वीकार करने और पिछली सेवा की विधिवत् गणना करते हुए सेवा में निरंतर बने रहने का विकल्प दिया जाता है.

4.2.5 अनिवार्य सेवानिवृत्ति पेंशन

ऐसे कर्मचारियों को, जो शास्ति भुगत रहे हों और शास्ति के रूप में अनिवार्यत: सेवानिवृत्त हुए हो, अनिवार्य सेवानिवृत्ति पेंशन मंजूर की जा सकती है. इस पेंशन को ऐसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत किया जाता है, जिनको अनिवार्य सेवानिवृत्ति की शास्ति अधिरोपित करने के लिए शक्तियां प्रदत्त की गई हैं.

4.2.6 अनुकंपा भत्ता

ऐसे रेल कर्मचारी को अनुकंपा भत्ता मंजूर की जाती है, जिसे सेवा से बरखास्त या हटाया गया हो, बशर्ते कि यह राशि अधिवार्षिकी पेंशन या उपदान या दोनों की दो-तिहाई की अधिकतम राशि तक हो, सेवा से बरखास्त या हटाए गए कर्मचारी सामान्य पेंशन और उपदान के लिए हकदार नहीं होंगे.

5.0 अईक सेवा

5.1 अर्हक सेवा कर्मचारी द्वारा ड्यूटी पर रहते समय या अन्यथा की गई सेवा है जिसे पेंशन और अनुदान के प्रयोजन के लिए हिसाब में लिया जाएगा. पेंशन / सेवानिवृत्ति उपदान की गणना के लिए अधिकतम अर्हक सेवा 20 वर्ष है.

5.2 अईक सेवा में निम्नलिखित मदें शामिल होंगी :

- ड्यूटी और ड्यूटी मानी गयी अवधि.
- रेलों पर नियुक्ति से पूर्व राज्य/केंद्र सरकार में बिना किसी व्यवधान के की गई पेंशन योग्य सेवा
- > वेतन सहित सभी प्रकार की छुट्टियां.
- अन्य केंद्रीय/राज्य सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम में प्रतिनियुक्ति की अवधि, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के मामले में, विदेश में सेवा अंशदान का भुगतान करने पर ही ऐसी सेवा को हिसाब में लिया जा सकता है.
- प्रशिक्षण अवधि.
- कार्यग्रहण अवधि.
- चिकित्सा के आधार पर ली गई असाधारण छुट्टी.
- रेलवे में नियुक्ति से पहले की गई मिलिटरी सेवा जो इस संबंध में निर्दिष्ट शर्तों पर है.
- स्थायी ओहदा प्राप्त करने के बाद अनियत श्रमिक सेवा का 50% (चालू लाइन अनियम श्रमिक के मामले में 1.1.1961 तक और परियोजना अनियत श्रमिक के मामले में 1.1.1981 तक प्रतिबंधित)
- एवजी सेवा अध्यापकों के मामलों में 3 महीनों की सेवा और अन्य के मामलों में 4 महीनों की सेवा पूरी करना बशर्ते कि ऐसी सेवा के तुरंत बाद नियमित सेवा में बिना किसी सेवाभंग के आमेलित किया जाता हो.

5.3 निम्नलिखित बातें, पेंशन के लिए अर्हक नहीं होंगी:

- चिकित्सा आधार पर ली गई छुट्टी के अलावा असाधारण छुट्टी.
- 🕨 18 वर्ष की आयु प्राप्त होने के पूर्व की गई सेवा, अनधिकृत अनुपस्थिति की अवधि.
- निलंबन, यदि नियमित नहीं किया गया हो.
- 🕨 अकार्य दिवस
- > विदेशी सेवा की अवधि जहां विदेशी सेवा अंशदान का भुगतान नहीं किया गया हो.

5.4 **अईक सेवा को पूर्णांकित करना**

- 3 महीनों से कम गणना नहीं की जाए.
- 🕨 3 महीनों से अधिक किंतु 9 महीनों से कम ½ वर्ष
- 9 महीनों से अधिक एक वर्ष

6.0 पेंशन की गणना कैसे की जाती है ?

6.1 कर्मचारी द्वारा उनकी सेवानिवृत्ति के समय आहरित अंतिम वेतन का 50% (वेतन बैंड में वेतन + ग्रेड वेतन) या औसत परिलब्धियों का 50%, जो भी अधिक हो पर पेंशन की गणना की जाती है. रेल सेवक को दिए जाने वाले न्यूनतम पेंशन 3500/- रु. प्रति माह है.

गैर-रनिंग कर्मचारियों के लिए फार्मूला

मूल पेंशन = वेतन बैंड में वेतन + ग्रेड वेतन + महंगाई राहत

2

रनिंग कर्मचारियों के लिए फार्मूला

रनिंग कर्मचारियों के मामले में परिलब्धियों की गणना के लिए वेतन, एलिमेंट में वेतन का 55% भी शामिल हैं. अतः मूल पेंशन :

= (<u>वेतन बैंड में वेतन + ग्रेड वेतन) + (वेतन बैंड में वेतन का 55%+ ग्रेड वेतन)</u> + महंगाई राहत

2

- 6.2 महंगाई राहत कर्मचारी के मूल पेंशन के आधार पर ही दिया जाएगा जिसमें समय-समय पर परिवर्तन होता है. इस महंगाई राहत का भुगतान, संराशीकृत मूल्य को बिना घटाए मूलत: स्वीकृत पेंशन की राशि के आधार पर किया जाएगा.
- 7.0 पेंशन के लिए कौन अईक होंगे ?
- 7.1 स्थायी कर्मचारी जो अधिवार्षिता/ स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति/अयोग्य पाए जाने पर सेवानिवृत्त होते हैं या जो 10 वर्ष से अधिक अर्हक सेवा कर सेवानिवृत्त होते हैं.
- 7.2 अस्थायी कर्मचारी, जो 10 वर्ष से अधिक अर्हक सेवा कर अधिवार्षिता या अयोग्य पाए जाने पर सेवानिवृत्त होते हैं या जो 20 वर्ष या अधिक अर्हक सेवा करने के बाद स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेते हैं.

8.0 पेंशन का संराशीकरण

8.1 कर्मचारी जो अधिवार्षिता/स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर सेवानिवृत्त हो रहे हैं, वे पेंशन का 40% बिना चिकित्सा परीक्षण के संराशीकरण कर सकते हैं. यह एकमुश्त भुगतान है. चिकित्सा अस्वस्थता/दंड के रूप में अनिवार्य सेवानिवृत्ति के मामले में और उन्हें जिन्होंने उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख से एक वर्ष के भीतर संराशीकरण के लिए आवेदन नहीं दिया है, को चिकित्सा परीक्षण के बाद ही, भुगतान किया जाएगा. सेवानिवृत्ति आदेश जारी करने की तारीख से एक वर्ष के भीतर संराशीकरण के लिए आवेदन दिया जाए.

8.2 गणना कैसे की जाती है ?

एकमुश्त संराशीकृत मूल्य, पेंशन के संराशीकृत हिस्से को अगले जन्मदिन की आयु से सुसंगत फैक्टर x 12 से गुणा करने पर प्राप्त होगा.

फार्मूला

पेंशन का 40% x 12 x अगले जन्मदिन की आयु की संराशीकृत मूल्य (अर्थात् 61 वर्ष की आयु पर)

उदाहरण

यदि कर्मचारी का मूल मासिक पेंशन 3500/- रु. है और वह 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर 31.12.2011 को सेवानिवृत्त हो रहा हो, तो कर्मचारी 40% तक का अपना पेंशन निमानुसार संराशीकृत कर सकता है:

3500/- रु. का 40% x 12 x 8.194 = 1400 x 12 x 8.194 = ' 1,37,659/-

अगली जन्मतिथि	संराशीकरण मूल्य खरीदे गए वर्षों की	अगली जन्मतिथि	संराशीकरण मूल्य खरीदे गए वर्षों की	अगली जन्मतिथि	संराशीकरण मूल्य खरीदे गए वर्षों की
पर आयु	संख्या में	पर आयु	संख्या में	पर आयु	संख्या में
20	9.188	41	9.075	62	8. 093
21	9.187	42	9.059	63	7.982
22	9.186	43	9.040	64	7.862
23	9.185	44	9.019	65	7.731
24	9.184	45	8.996	66	7.591
25	9.183	46	8.971	67	7.431
26	9.182	47	8.943	68	7.262
27	9.180	48	8.913	69	7.083
28	9.178	49	8.881	70	6.897
29	9.176	50	8.846	71	6.703
30	9.173	51	8.808	72	6.502
31	9.169	52	8.768	73	6.296
32	9.164	53	8.724	74	6.085
33	9.159	54	8.678	75	5.872
34	9.152	55	8.627	76	5.657
35	9.145	56	8.572	77	5.443
36	9.136	57	8.512	78	5.229
37	9.126	58	8.446	79	5.018
38	9.116	59	8.371	80	4.812
39	9.103	60	8.287	81	4.611
40	9.090	61	8.194		

8.3 पेंशन के संराशीकृत मूल्य की बहाली

8.4

संराशीकरण प्रभावित होंने की वास्तविक तारीख से 15 वर्ष पूरी करने की तारीख को पेंशन की संराशीकृत मूल्य की बहाली के लिए पेंशनभोगी पेंशन संवितरण प्राधिकारी को आवेदन करने के हकदार होंगे

नोट : परिवार पेंशन पर संराशीकरण का कोई प्रभाव नहीं होता है. 15 वर्ष पूर्ण होने से पहले कर्मचारी की मृत्यु के मामले में, परिवार को कर्मचारी के पेंशन में संराशीकृत राशि की कटौती के बिना योग्यता के अनुसार पूरा परिवार पेंशन मिलेगा.

(रेलवे बोर्ड का दि.26.3.1987 का पत्र सं. एफ(ई) ।।। / 87 / पीएन / 1 / 7)

वृद्ध पेंशनभोगियों/परिवार पेंशनभोगियों को देय पेंशन/परिवार पेंशन की राशि में निम्नानुसार वृद्धि की जाए :

पेंशनभोगी/परिवार पेंशनभोगी की आयु	पेंशन की अतिरिक्त राशि
80 वर्ष से 85 वर्ष से कम आयु तक	संशोधित मूल पेंशन/परिवार पेंशन का 20%
85 वर्ष से 90 वर्ष से कम आयु तक	संशोधित मूल पेंशन/परिवार पेंशन का 30%
90 वर्ष से 95 वर्ष से कम आयु तक	संशोधित मूल पेंशन/परिवार पेंशन का 40%
95 वर्ष से 100 वर्ष से कम आयु तक	संशोधित मूल पेंशन/परिवार पेंशन का 50%
100 वर्ष या उससे अधिक	संशोधित मूल पेंशन/परिवार पेंशन

का 1	100%
------	------

9.0 परिवार पेंशन

यह एक सामाजिक सुरक्षा लाभ है, जिसे कर्मचारी की मृत्यु होने के मामले में, इस बात पर ध्यान दिए बिना कि मृत्यु सेवा के दौरान हुई है या सेवानिवृत्ति के बाद हुई है, रेल कर्मचारी/महिला कर्मचारी की जीवित विधवा/विधुर या नाबालिग बच्चे पूर्णत: आश्रित माता पिता को मासिक तौर पर दिया जाता है. यह सेवा से हटाया गये/बरखास्त किए गए कर्मचारियों के परिवारों को भी दिया जाता है, यदि वे मृत्यु के समय अनुकंपा भत्ते प्राप्त कर रहे हों. सेवानिवृत्त पति/पत्नी भी परिवार पेंशन के लिए पात्र होंगे.

9.1 परिवार पेंशन का परिकलन

परिवार पेंशन की राशि का परिकलन वेतन का 30% की दर पर (वेतन बैंड में वेतन + ग्रेड वेतन) किया जाता है, जो न्यूनतम 3,500/- रु. + समय-समय पर अनुमेय महंगाई राहत की शर्त पर है. सामान्य दरों पर परिवार पेंशन की स्वीकृति पर ध्यान दिए बिना अर्हक सेवा की गणना की जाएगी.

9.2 सेवाकाल के दौरान मृत रेल कर्मचारी के परिवार को देय बढ़ाई गई परिवार पेंशन की अविध को उच्चतर आयु सीमा के बिना दस वर्षों तक आगे बढ़ायी जानी है. 01.01.06 को बढ़ाई गई परिवार पेंशन प्राप्त परिवार पेंशनभोगियों को भी इस प्रावधान में शामिल किया गया है

9.3 परिवार पेंशन प्राप्त करने के लिए परिवार सदस्यों की हकदारी

- 9.3.1 विधवा/विधुर, न्यायिक रूप से अलग हुए पत्नी को शामिल कर, उनकी मृत्यु या पुन: विवाह होने तक, जो भी पहले हो.
- 9.3.2 पुत्र/अविवाहित पुत्री (जुड़वे बच्चों के मामले में समान हिस्सा) उनके जन्मतिथि के क्रम में 25 वर्षों की आयु प्राप्त करने तक. पुत्र या पुत्री को प्रदस्त परिवार पेंशन, तभी बंद होगा, जब वह 2550/- रु. से अधिक मासिक आय का अर्जन कर रहा/रही हो.
- 9.3.3 यदि, न्यायिक रूप से, एक से अधिक पत्नी हों, तो सभी पत्नियों के लिए समान राशि दी जाएगी और एक विधवा की मृत्यु होने पर उनका हिस्सा, उनके पात्र बच्चे को दिया जाएगा, अन्यथा दूसरी विधवा पत्नी को पूर्णत: दिया जाएगा.
- 9.3.4 माता पिता को उनकी मृत्यु होने तक, यदि कोई जिवित परिवार सदस्य न हो अर्थात् या रेल कर्मचारी की पत्नी या उनके बच्चे न हो

9.3.5.1 लापता कर्मचारी

ऐसे कर्मचारियों के माले में, जिनका ठौर-ठिकाना नहीं मालूम हो और उनके क्षेत्राधिकार/या स्थान, जहां कर्मचारी लापता हो गया है, में स्थित पुलिस स्टेशन में प्रथम सूचना रपट (एफ आई आर) दर्ज करने के बाद भी पता नहीं लगाया जाता है, तो एक वर्ष की अविध तक प्रतीक्षा करने के बाद पात्र परिवार सदस्यों को परिवार पेंशन दी जा सकती है.

- 9.3.5.2 ऐसे मामले में, यदि कर्मचारी सेवांत भुगतान किए जाने और पेंशन की अदायगी शुरू होने के बाद पाया जाता है और वापस आ जाता है, तो उनको चाहिए कि वे वर्तमान नियमों के अनुसार तथा यथानिर्दिष्ट औपचारिकताओं को पूरा करते हुए परिवार सदस्यों द्वारा प्राप्त राशि को लौटा दें और सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से ड्यूटी पर पुनः रिपोर्ट करें.
- 9.3.5.3 लापता कर्मचारी के परिवार को उनके दावे के समर्थन में निम्नलिखित प्रलेख प्रस्तुत करने होंगे :
 - दर्ज की गई प्रथम सूचना रपट की प्रति.
 - पुलिस विभाग द्वारा जारी यह प्रमाणपत्र कि सभी प्रयासों के बावजूद लापता कर्मचारी का पता नहीं लगाया जा सका.
 - निर्धारित प्रोफार्मा में दो सेवारत रेल कर्मचारियों द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित प्रतिभूति बंध पत्र.
 - यह शपथ पत्र कि यदि कर्मचारी का पता लगता है, तो परिवार के सदस्यों द्वारा प्राप्त राशि, प्रशासन को वापस की जाएगी और यह भी घोषित की जाए कि प्रस्तुत विवरण सही है.

10.0 सेवानिवृत्ति उपदान

10.1 यह किसी रेल सेवक/उनके द्वारा नामित व्यक्ति को उनकी सेवानिवृत्ति या चिकित्सा रूप से अयोग्य पाए जाने पर मिलने वाला एक-मुश्त भुगतान है.

10.2 कैसे गणना की जाती है ?

10.2.1 रेल सेवक, जो 5 वर्ष की अर्हक सेवा पूरी करते हों, सेवानिवृत्ति उपदान के पात्र होंगे. यह उपदान, कर्मचारी की अर्हक सेवा और उनके द्वारा आहरित अंतिम वेतन और ग्रेड वेतन पर निर्भर होता है. इसकी गणना अर्हक सेवा की प्रत्येक छह माह की अविध की परिलब्धियों की ¼ दर पर की जाती है, जो अधिकतम परिलब्धियों की 16 ½ गुणा की शर्त पर है और कुल राशि, 10,00,000 (दस लाख रुपये) से अधिक न हो. कर्मचारी द्वारा उन्हें उपलब्ध कराए गए रेलवे आवास खाली नहीं करने के मामले में, संपूर्ण उपदान की राशि का भूगतान रोक दिया जाएगा.

10.2.2 **फार्मूला**

उपदान = (वेतन बैंड में वेतन + ग्रेड वेतन + महंगाई भत्ता) x अर्हक सेवा/2.

उदाहरण

यदि कोई कर्मचारी 33 वर्ष की अर्हक सेवा पूरी कर सेवानिवृत्त हो रहा हो और वेतनमान 9300-34800 रु. में 4600 रु. ग्रेड वेतन सहित उनका मूलवेतन ' 16050 रु. हो', वर्तमान महंगाई भत्ता 58% की दर पर (दि. 1.07.2011 को) 11,977/- हो तो सेवानिवृत्ति उपदान ' (16,050+4,600+11,977) x 33/2 = ' 32,627 x 16.5=' 5,38,345.50 अर्थात् अगले रूपये में पूर्णांकित = ' 5,38,346/-

10.2.3 रनिंग कर्मचारियों के लिए फार्मूला

रनिंग कर्मचारियों के मामले में मूल वेतन के 30% को रनिंग भत्ते के पे रेटिंग के रूप में माना जाएगा. सेवानिवृत्ति की तारीख को, महंगाई भत्ते का भुगतान, मूल वेतन + रनिंग भत्ते का वेतन एलिमेंट अर्थात् मूल वेतन का 30% पर किया जाएगा.

उपदान = (वेतन बैंड में वेतन + ग्रेड वेतन + वेतन बैंड में वेतन का 55% + ग्रेड वेतन) + (वेतन बैंड में वेतन + ग्रेड वेतन + वेतन बैंड में वेतन का 30% + ग्रेड वेतन X सेवानिवृत्ति की तारीख को महंगाई भत्ता) X अर्हक सेवा/2

उदाहरण :

यदि कोई कर्मचारी 33 वर्ष की अर्हक सेवा पूरी कर सेवानिवृत्त होता है और वेतन बैंड 9300-34800 रु. + ग्रेड वेतन 4200 रु. में उनका मूलवेतन 18,660/-रु. हो और वर्तमान महंगाई भत्ता 58% की दर पर (दि.01.07.2011 को) 13,259/- हो तो

सेवानिवृत्ति उपदान (18660/- + 4,200+12573)+ 17236x 33/2= 52,669/-रु.x 16.5 = 8,69,038.50 रु. अर्थात् अगले रूपये में पूर्णांकित = 8,69,039/- रु.

मृत्यु उपदान के मामले में :

यदि किसी रेल सेवक की सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है तो उनके परिवार को नीचे तालिका में बताए अनुसार मृत्यु उपदान का भुगतान किया जाए :

क्र.सं.	अर्हक सेवा की अवधि	उपदान की दर
(i)	एक वर्ष से कम	परिलब्धियों का दो गुना
(ii)	एक वर्ष या उससे अधिक किंतु	परिलब्धियों का 6 गुना
	5 वर्ष से कम	
(iii)	5 वर्ष या उससे अधिक किंतु 20	परिलब्धियों का 12 गुना
	वर्ष से कम	
(iv)	20 वर्ष या उससे अधिक	इसकी गणना अर्हक सेवा की
		प्रत्येक छह माह की अवधि के
		लिए परिलब्धियों की 1/2 दर
		पर, की जाती है, जो अधिकतम
		33 गुना हो बशर्ते कि मृत्यु
		उपदान की राशि किसी भी
		मामले में 10,00,000 रु. से
		अधिक न हो.

10.3 उपदान से वसूलियां

सरकार को देय राशि को, यदि कोई हो तो, कर्मचारी की अनुमित के बिना, सेवानिवृत्ति उपदान या मृत्यु उपदान की राशि में से वसूल किया जा सकता है और मृत कर्मचारी के मामले में उनके परिवार के सदस्यों की अनुमित प्राप्त किए बिना वसूला जा सकता है. (प्राधिकार : रेल सेवक पेंशन नियम 1993 के नियम 15)

11 0 भविष्य निधि

कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के समय इसका भुगतान ब्याज सहित किया जाता है क्योंकि यह राशि स्वयं कर्मचारी का अंशदान होता है. कर्मचारी किसी कारणवश मरने के मामले में, सेवांत भुगतान में विलंब से बचने के लिए नामांकन कर सकता है. वह, भविष्य निधि की राशि प्राप्त करने के लिए एक या अधिक व्यक्तियों को नामित कर सकता है. यदि, वह एक से अधिक व्यक्तियों को नामित करता हो तो, प्रत्येक को भुगतान किए जाने वाले हिस्सों का प्रतिशत का भी उल्लेख करेगा.

(प्राधिकार : नियम ९४1 आर-।).

12.0 छुट्टी नकदीकरण

यह सेवानिवृत्ति या मृत्यु के समय, उपयोग नहीं की गई छुट्टी के लिए एक बार किया जाने वाला एकम्श्त भूगतान है. यह अधिकतम 300 दिनों की औ.वे.छू. तक सीमित है.

300 दिनों की औ.वे.छु. में कमी होने के मामले में, छुट्टी नकदीकरण के प्रयोजन के लिए, कमी को पूरा करने के लिए उनके खाते में जमा अर्ध औ.वे.छु. को लिया जाएगा. तदनुसार, औ.वे.छु. में कमी, के लिए आधा वेतन के समान की राशि दी जाएगी.

फार्मूला :

(मूल वेतन + ग्रेड वेतन + महंगाई भत्ता) X औ.वे.छु. के दिनां की संख्या 30

<u>उदाहरण</u> : यदि कोई कर्मचारी सेवानिवृत्ति होता हो, जिसका वेतन 4600 रु. ग्रेड वेतन सिंहत वेतन बैंड 9300-34800 रु. में 16050 रु. हो और वर्तमान महंगाई भत्ता 58% (1.07.2011 को) तथा उसके खाते में 300 दिन औ.वे.छु. हो, तो, राशि की गणना निम्नानुसार होगी :

 $16050 + 4600 + 11977/30 \times 300 = (32627)/30 \times 300 = 3,26,270/-$

13.0 केंद्र सरकार कर्मचारी समूह बीमा योजना

- 13.1 समूह बीमा योजना 01.01.1982 से लागू हुई. 01.11.1980 के बाद रेलवे सेवा जाइन करने वाले कर्मचारियों के लिए यह अनिवार्य है.
- 13.2 अंशदान की दर : समूह "घ" कर्मचारियों के लिए प्रतिमाह 15/-रु. समूह "ग" के लिए 30/, समूह "ख" के लिए 60/-रु. तक समूह "क" के लिए 120 रु. है. रेल सेवा में जाइन करने वाले कर्मचारी को योजना के अगले वर्ष अर्थात् रेल सेवा जाइन करने के वर्ष के आगामी वर्ष की पहली जनवरी से इस योजना में सदस्य के रूप में शामिल किया जाएगा. अंशदान का एक भाग बीमा निधि में तथा एक भाग बचत निधि में जमा किया जाएगा. सेवा के दौरान रेल कर्मचारी की मृत्यु के मामले में, बीमा निधि से समूह "घ", "ग", "ख" तथा "क" के कर्मचारियों के परिवार को क्रमश: 15,000/-रु, 30,000/-रु., 60,000/-रु. तथा 1,20,000/-रु. की राशि देय होगी. नियोजन की समाप्ति पर कर्मचारी को बचत निधि से, निधि में जमा अंशदान की राशि के समान राशि, ब्याज सहित, लौटायी जाएगी. मृत्यु के मामले में, बीमा की राशि के अलावा, ऊपर बताए अनुसार बचत निधि में जमा राशि का भी भुगतान किया जाएगा. एक समूह से दूसरे समूह में कर्मचारी की पदोन्नति

होने पर, पदोन्नित वर्ष के अगले वर्ष की पहली जनवरी से उच्चतर दर पर अंशदान वसूल किया जाएगा. पदोन्नित के वर्ष में 31 दिसंबर तक कर्मचारी, पदोन्नित से पहले लागू बीमा योजना में बने रहेंगे. यदि कर्मचारी पदावनत हो जाता है तो भी उच्चतर दर पर अंशदान वसूल किया जाएगा. दि.1.1.1988 से अंशदान को बीमा निधि और बचत निधि के बीच क्रमश: 30% और 70% की दर पर विभाजित किया जाएगा. (प्राधिकार : रेलवे बोर्ड का दि.16.2.1988 का पत्र सं. पीसी III / 86 / जीआईएस / 4 और दि.19.9.1989 का पत्र सं. पीसी III/89/जीआईएस/1)

13.3 बीमे की राशि को रोका नहीं जा सकता और वित्तीय संस्थानों से गृह निर्माण अग्रिम के कारण कर्मचारी द्वारा देय राशि के अलावा अन्य कोई सरकारी बकाया इस राशि से वसूल नहीं किया जा सकता.

14 0 क्वार्टर को रोक रखना

14.1 सेवानिवृत्ति पर रेलवे आवास को रोक रखने के लिए अनुमत अवधि निम्नानुसार होगी :

14.1.1 सेवानिवृत्ति के मामले में :

स्वैच्छिक सेवानिवृत्त कर्मचारी सहित सेवानिवृत्त कर्मचारी को, लाइसेंस शुल्क के सामान्य किराया/फ्लाट किराया के भुगतान पर पहले 4 महीनों के लिए और अनुरोध के समर्थन में अपेक्षित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर विशेष लाइसेंस शुल्क अर्थात् लाइसेंस शुल्क/किराया का दुगुना सामान्य किराया/फ्लाट दर, के भुगतान पर शैक्षिक या चिकित्सा आधार पर अगले 4 महीनों के लिए, रेलवे आवास रोके रखने के लिए अनुमति दी जा सकती है. (प्राधिकार : रेलवे बोर्ड का दि 30.11.2000 का पत्र सं.ई(जी)2000/सीआर1/23)

14.1.2 मृत्यु के मामले में

रेलवें कर्मचारी की मृत्यु यदि सेवा के दौरान होती है, तो उनके परिवारजनों को लाइसेंस शुल्क के सामान्य किराया/फ्लाट किराया के भुगतान पर दो वर्ष की अवधि के लिए रेल आवास रोक रखने की अनुमति दी जा सकती है.

(प्राधिकार : रेलवे बोर्ड का दि 17.8.99 का पत्र सं.ई (जी) 98/सीआर1/11)

14.2 रेलवे क्वार्टर का नियमितीकरण

सेवानिवृत्त होने वाले रेल कर्मचारी, अपनी सेवानिवृत्ति के समय अपने पुत्र/पुत्री, जो कि रेल कर्मचारी हैं के नाम पर रेलवे क्वार्टर आबंटित करा सकता है, बशर्ते कि (क) पुत्र/पुत्री रेलवे क्वार्टर में न्यूनतम पिछले 6 महीनों का मकान किराया भत्ता न लेते हुए उसमें रह रहे हों (ख) पुत्र/पुत्री भी जिस प्रकार के क्वार्टर के साझीदार रहे हैं, के लिए पात्र हों, तथापि, विवाहित पुत्री या बहू रेलवे क्वार्टर के नियमितीकरण/बिना बारी आबंटन के लिए पात्र नहीं होंगे

15.0 चिकित्सा सुविधाएं :

15.1 सेवानिवृत्त कर्मचारी उदारीकृत स्वास्थ्य योजना (आरईएलएचएस)-1997 रेलवे बोर्ड के दिनांक 23.10.1997 के पत्र सं. 97/एच/28/1 के अनुसार, रे.क.उ.स्वा.यो.- 97 के अंतर्गत शामिल सेवानिवृत्त रेल कर्मचारियों को, रेलवे चिकित्सा उपस्थिति नियम के अंतर्गत सेवारत कर्मचारियों को यथा स्वीकार्य पूर्ण चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की

जाएंगी. यह योजना रेल कर्मचारियों के पित/पत्नी के लिए भी लागू होगी, जिनकी मृत्यु सेवा के दौरान हुई हो. इस योजना के प्रयोजन के लिए "परिवार" की परिभाषा वही होगी जैसे कि सेवारत रेल कर्मचारियों के लिए है, "आश्रितों" की परिभाषा पास नियमों के अनुसार वही होगी. से.नि.क.उ.स्वा.यो.-97 में शामिल होने के लिए विकल्प देनेवालों को सेवानिवृत्ति के समय एक बारगी अंशदान के रूप में अंतिम माह के मूल वेतन के बराबर की राशि देनी होगी. भुगतान, नकदी के रूप में या उपदान से काटने के प्राधिकार द्वारा किया जाएगा. से.नि.क.उ.स्वा.यो.-97 में शामिल होने पर, उन्हें सभी लाभ उठाने वालों के फोटो के साथ पहचान पत्र रखना होगा.

15.2 दि.1.12.1997 से पेंशनभोगी 300 रु. प्रति माह चिकित्सा भत्ता पाने के पात्र होंगे यदि वे रेलवे अस्पताल/स्वास्थ्य यूनिट/डिस्पेंसरी स्थित शहर/नगर पालिका/टाउन से दूर रहते हों. यह बिहरंग रोगी उपचार के बदले में है और चिकित्सा कार्ड की धारिता पर ध्यान दिए बिना स्वीकार्य है.

16.0 सेवानिवृत्तोपरांत लाभ

16.1 कंपोजिट स्थानांतरण अनुदान

सेवानिवृत्ति पर कर्मचारी और उनका परिवार और कर्मचारी की मृत्यु के मामले में उनके परिवार के सदस्य, उनके सेवा के अंतिम स्टेशन के अलावा अन्य स्थान पर, जो 20 कि.मी. से अधिक दूरी पर हो, में बसने के लिए कंपोजिट स्थानांतरण अनुदान के पात्र होंगे. कंपोजिट स्थानांतरण अनुदान के लिए आवेदन सेवानिवृत्ति/मृत्यु की तारीख से एक वर्ष की अविध के भीतर दिया जाए. आवेदन करने में एक वर्ष से अधिक और 2 वर्षों तक की अविध में हुए विलंब के लिए अपर महाप्रबंधक को माफ करने की शक्ति प्रदत्त है.

16.2 **विशेष पास**

सेवानिवृत्त होने वाले रेल कर्मचारी को या उनकी मृत्यु होने पर अंतिम भुगतान की राशि प्राप्त करने के लिए हकदार व्यक्ति को ऐसे भुगतान को प्राप्त करने के लिए बुलाए जाने पर एक सेट मुफ्त पास दिया जाएगा. इस मामले में उसी श्रेणी का पास दिया जाएगा जिस श्रेणी के पास के लिए वह सेवानिवृत्ति/मृत्यु से पहले हकदार था.

16.3 **सेवांत पास**

रेल कर्मचारी, सेवानिवृत्ति के समय या कर्मचारी के मृत्यु होने पर विधवा/विधुर को स्वयं और परिवार के सदस्यों/आश्रित संबंधियों का निजी सामान के परिवहन के लिए, जहां वह सेवानिवृत्ति/मृत्यु के बाद बसना चाहते हों, पास जारी किया जाए. सेवांत पास के आवेदन, सेवानिवृत्ति की तारीख, या कर्मचारी की मृत्यु की तारीख से एक वर्ष के भीतर प्रस्तुत किया जाए.

16.4 सेवानिवृत्तोपरांत मानार्थ पास

16.4.1 जिन्होंने 20 वर्ष की सेवा पूरी की हो या 25 वर्ष से कम सेवा की हो.

i. ग्रुप 'सी' और 'डी' : 1 सेटii. ग्रुप 'ए' & 'बी' : 2 सेट

16.4.2 जिन्होंने 25 वर्षों की सेवा पूरी की है.

i. ग्रुप 'सी' : 2 सेट ii. ग्रुप 'ए' & 'बी' : 3 सेट

17.0 सेवानिवृत्तोपरांत मामले

17.1 सेवा प्रमाणपत्र

राजपत्रित और अराजपत्रित कर्मचारी, दोनों को निर्धारित प्रोफार्मा में सेवा प्रमाणपत्र दिया जाता है. इस प्रमाण पत्र में जन्म तारीख, नियुक्ति की तारीख, सेवानिवृत्ति की तारीख, सेवानिवृत्ति के समय पद और ग्रेड, पेंशन भुगतान आदेश सं. आदि के संबंध में जानकारी होगी. प्रमाणपत्र के पीछे पेंशन, उपदान, संराशीकरण, छुट्टी नकदीकरण आदि का विस्तृत परिकलन दिया जाता है. यह प्रमाण पत्र सेवानिवृत्ति के बाद विभिन्न सुविधाओं के लिए आवेदन करते समय उपयोग किया जा सकता है. इस प्रमाणपत्र का उपयोग, सेवानिवृत्ति के बाद लाभों के लिए विभि्न आवेदन तैयार करने के लिए किया जाएगा.

17.2 बैंक द्वारा पेंशन का भुगतान

पंशन की राशि पेंशनभोगी के लेखे में जमा की जा सकती है यदि वह उनके अपने नाम से पब्लिक सेक्टर बैंक में लेखा रखते हैं. बैंक द्वारा पेंशन संयुक्त लेखे में आहरित नहीं की जाएगी. सभी रेलवे पेंशनभोगी (डाक कार्यालय से आहरित करने वालों को छोड़कर)देश के किसी भी भाग के नामित बैंक के किसी भी शाखा से पेंशन आहरित कर सकते हैं.

17.3 **जीवन प्रमाण-पत्र**

पेशनभोगियों द्वारा पेंशन देनेवाले प्राधिकारी को जीवन प्रमाण-पत्र हर वर्ष नवंबर के माह में दिया जाना चाहिए. विभाग, कार्यालय, कंपनी, निगम, स्वायत्त निकाय या राज्य या केंद्र सरकार के पंजीकृत सोसाइटी में गैर-रोजगार या रोजगार/पुनः रोजगार के संबंध में प्रमाणपत्र भी पेंशन देनेवाले प्राधिकारी को हर वर्ष नवंबर के माह में निर्धारित पोफार्मा में दिया जाए.

(प्राधिकार : बोर्ड का दि.9.8.1988 का पत्र सं. एफ(ई) ॥। / ८८ / पीएन-1)

ग्रुप 'क' अधिकारी को भारत से बाहर वाणिज्यिक नियोजन या सरकारी नियोजन की स्वीकृति / अस्वीकृति के संबंध में सेवानिवृत्ति के बाद प्रत्येक दो वर्ष में एक घोषणा देनी चाहिए. जब तक पेंशनभोगी/परिवार पेंशनभोगी द्वारा बेरोजगार/ रोजगार/पुन: नियोजन का प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता, तब तक महंगाई राहत का भुगतान नहीं किया जाएगा.

(प्राधिकार : बोर्ड का दि.5.5.92का पत्र सं. एफ(ई)।।।/८८/पीएन1/21)

18.0 सेवा के दौरान कर्मचारी की मृत्यु हो जाने पर उनके परिवारजन के लिए ध्यान देने योग्य बातें क्या हैं ?

18.1 तत्काल राहत का भुगतान (सेवा के दौरान कर्मचारी की मृत्यु हो जाने पर अंतिम संस्कार अग्रिम)

सेवा के दौरान कर्मचारी की मृत्यु होने पर उनके परिवार को 3 माह के मूल वेतन के बराबर की राशि या 15,000/-रु. जो भी कम हो, अंतिम संस्कार अग्रिम के रूप में भुगतान किया जाएगा. यह राशि देय मृत्यु-सह-निवृत्ति उपदान में से वसूल की जाएगी.

(प्राधिकार : रेलवे बोर्ड का दि.5.8.1999 का पत्र सं. ई(डब्ल्यू)98/डब्ल्यू ई/6/8)

18.2 फोटोग्राफ और परिवार का ब्यौरा

परिवार पेंशन आहरण के लिए अंतिम भुगतान आवेदन पर शीघ्र कार्रवाई के लिए पित । पत्नी के फोटो, पहचान चिह्न और जन्मतिथि के साथ परिवार के सदस्यों का ब्यौरा, मूल मृत्यु प्रमाण-पत्र, विधिक वारिस प्रमाणपत्र, संरक्षण प्रमाणपत्र (बच्चे छोटे हो और पित। पत्नी दोनों की मृत्यु के मामले में) स्थायी घर का पता और एस बी खाता संख्या, बैंक का नाम, स्थान आदि तैयार रखें.

19.0 ध्यान में रखी जानेवाली बातें

- 19.1 रेलवे क्वार्टर खाली न करने और यदि कोई विभागीय या न्यायिक कार्यवाही लंबित हो तो उपदान की पूरी राशि को रोक रखा जाएगा.
- 19.2 ऐसे स्थानों पर जहां सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक न हो तो डाक कार्यालय द्वारा वितरण की अनुमति दी जाती है.
- 19.3 इस बात पर ध्यान दिए बिना कि वह लडक़ा है या लडक़ी, बच्चों को जन्मतिथि के क्रम में परिवार पेंशन का भुगतान किया जाएगा.
- 19.4 10 (दस) वर्ष से कम मगर 9 (नौ) वर्ष और 9(नौ) महीने से अधिक अर्हक सेवा को 10 (दस) वर्ष के संपूर्ण सेवा के रूप में माना जाता है.
- 19.5 पेंशन भुगतान आदेश एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिसमें पेंशन हकदारी का चालू लेखा है. इसे सुरक्षित रखा जाए.
- 19.6 सभी पेंशन/उपदान और महंगाई राहत का भुगतान भारतीय मुद्रा और भारत में ही किया जाएगा. यदि कुछ भाग हो तो अगले उच्चतर रूपये में पूर्णांकित किया जाएगा.
- 19.7 कोई भी कर्मचारी एक ही सेवा/पद में या एक समय दो पेंशन अर्जित नहीं कर सकते. फिर भी, किसी कर्मचारी के अलग पेंशन आहरित करने के लिए अलग-अलग नियोजन, या पेंशन और परिवार पेंशन के संयोजन या सिविल और मिलिटरी पेंशन के कारण एक से अधिक पेंशन के आहरण पर कोई रोक नहीं है.
- 19.8 पेंशन/परिवार पेंशन का भुगतान प्राप्त करने वाले को मृत्यु के दिन तक किया जाएगा.
- 19.9 पेंशन की मंजूरी और उसे जारी रखना, पेंशनभोगी की भविष्य के अच्छे आचरण पर निर्भर होगा.
- 19.10 लिपिकीय भूल को छोडकर, अंतिम निर्धारित पेंशन में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है जिससे पेंशनभोगी को नुकसान हो.
- 19.11 सरकारी बकायों को उपदान या महंगाई राहत में समंजित किया जाएगा.
- 19.12 पेंशनभोगी के विरुद्ध दावों के लिए पेंशन से कुर्की/रोक नहीं लगाया जाए या पेंशन की अपेक्षा में पेंशनभोगी द्वारा कोई समानुदेशन न किया जाए.

- 19.13 यदि पेंशनभोगी गंभीर अपराध या कदाचार में शामिल हो या लापरवाही से दोषी ठहराया गया हो तो पेंशन को निश्चित या अनिश्चित अवधि के लिए रोका जा सकता है या आंशिक रूप से रद्द किया जा सकता है. सरकार को यदि कोई आर्थिक नुकसान पहुंचाया हो तो उस राशि को पेंशन में वसूल किया जाएगा.
- 19.14 सेवानिवृत्त कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के समय दिए जानेवाले प्रलेख :
 - पेंशन भुगतान आदेश
 - चिकित्सा पहचान कार्ड
 - > सेवानिवृत्ति के बाद मानार्थ पास के लिए परिवार पहचान कार्ड
- 19.15 आयकर से छूट : निम्नलिखित सेवानिवृत्ति/मृत्यु लाभों को आयकर से पूरी छूट होगी :
 - आयकर अधिनियम के खंड 10 की धारा 10 की मृत्यु-सह-निवृत्ति उपदान.
 - आयकर अधनियम की धारा 10 के उपबंध (i) के खंड (10-ए) के अनुसार संराशीकृत मृत्य.
 - आयकर अधिनियम की धारा 10 के उपबंध (i) के खंड (10-एए) के अनुसार अप्रयुक्त छुट्टियों के समतुल्य नकद.

अंतिम बकायों का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए कार्मिक विभाग से कर्मचारियों का सहयोग महत्वपूर्ण है.

16

1.0 GENERAL

- 1.1 The age prescribed for retirement on superannuation is 60 years for all Government servants.
- 1.2 Retirement is effective from the afternoon of the last day of the month in which age of superannuation is attained.
- 1.3 An employee whose date of birth is the 1st of the month shall retire on the afternoon of the last day of the preceding month.
- 1.4 The date of retirement on superannuation will be deemed as a working day.
- 1.5 In case of premature retirement/Voluntary retirement, the day of retirement will be treated as a non-working day.
- 1.6 Entire gratuity will be withheld for non-vacation of quarters and during pendency of departmental or judicial proceedings.
- 1.7 Life certificate should be furnished to the pension disbursing authority by the pensioner/family pensioner in the month of November every year.
- 1.8 An amount equal to three months basic pay or ₹ 15,000/- whichever is less, is payable as immediate relief (Funeral Advance) to the family of the deceased employee. This amount will be recoverable from the death gratuity payable (SCR SC No. 224/99)
- 1.9 Pension will be calculated and paid including the day of death of pensioner/family pensioner.

WHAT ACCRUES IN THESE EVENTS?

Normal/Voluntary Retirement	Death
Provident fund (Own contribution)	Provident fund (Own contribution)
Monthly pension	Monthly Family Pension
Commutation of pension	Deposit Linked Insurance
Retirement gratuity	Death Gratuity
CGE Group Insurance Scheme	Group Insurance (Full insurance value +
(Saving Fund value with interest)	saving fund value with Interest)
Encashment of Leave	Encashment of Leave
Composite Transfer grant	Composite Transfer Grant
Settlement Pass	Settlement Pass.
Post-retirement Passes	Widow Passes
Medical facilities under RELHS, 1997	Medical facilities under RELHS, 1997
Retention of Railway Quarters	Retention of Railway Quarters
(up to specified period only)	(up to specified period only)
Benefit of staying in Holiday Homes/Officers'	Appointment on Compassionate Grounds
Rest Houses	

(See details at relevant Paras in the book)

2.0 ACTION TO BE TAKEN WHILE IN SERVICE

2.1 Modes of leaving service

- 2.1.1 Normal Retirement: On attaining the age of superannuation (at 60 years).
- 2.1.2 Voluntary Retirement by the employee.
- 2.1.3 Removal or compulsory retirement as a result of DAR action.
- 2.1.4 Death or Invalidation on medical grounds while in service.
- 2.1.5 In all these cases some amount become payable (varying from case to case), which are known as Settlement dues.

2.2 Nomination

While in service, every Railway employee must execute nominations in the prescribed forms indicating the names of nominees to whom various final settlement dues like DCRG, PF, CGIS etc. are to be paid in the event of death etc. of the employee. It is also to be ensured that copies of the nomination executed are available in the service records and also in Accounts department.

2.3 Planning for retirement

Apart from normal retirement on superannuation, an employee a railway employee can retire from service voluntarily after rendering 20 years of qualifying service by giving notice of not less than three months in writing to Appointing Authority (Authority: Rule 67 of Railway Services (Pension) Rules, 1993).

3.0 **ACTION TO BE TAKEN PRIOR TO RETIREMENT**

3.1 Mode of Pension payment

After the employee decides about the place of stay after retirement, he / she should also decide the mode of receipt of pension. Pension can be received through nationalized banks or Post offices. Employee has to specifically furnish the Pension account.

3.2 Photographs

A retiring employee has to submit 5 passport size joint photographs of himself/herself and that of the spouse for pension and one stamp-size photo to be submitted for issuing photo identity Card. Five individual photographs of the employee should be submitted for commutation forms and for service certificate. One set of individual photographs of all eligible family members including unemployed sons aged 21 years should be submitted for medical identity card. Similarly, two sets of individual photographs of self and eligible family members for the purpose of Identity Card for Post-Retirement Complimentary passes should also be submitted.

3.3 Permanent Residential Address

Employee has to furnish the details of permanent residential address where he/she intends to settle after retirement for purpose of communication of any information, in future.

3.4 Family details

Employee has to furnish details of family members along with date of birth and identification marks in the form given at Annexure-III of this booklet. Apart from the aforesaid, following self- checks will enable early payment of retirement dues.

- 3.5 Whether the PF account is complete. If employee has been transferred on more than one occasion, the details of deductions from all units must have been sent to the unit from where he/she is finally retiring.
- 3.6 Whether leave account is updated with all credits and debits.
- 3.7 Whether periods of break in service, if any, have been regularized.
- 3.8 Whether Service Register is complete in all respects.
- 3.9 Whether nomination has been executed for PF, GIS and Gratuity.
- 3.10 Whether the nomination is current and doesn't need any change.
- 3.11 Whether Govt. accommodation is vacated in time.
- 3.12 Whether any DAR case is pending.
- 3.13 Whether Metal Pass (in case of officers)/Duty Card Pass issued by the administration are surrendered.
- 3.14 Whether any period of suspension remains to be regularized.
- 3.15 Payment of all dues including interest to the railway viz. loans and advances availed, etc.

4.0 RETIREMENT BENEFITS

4.1 **PENSION**

This is a monthly payment made to the Railway employees consequent upon their retirement with a qualifying service of not less than ten years. The amount of pension depends upon the qualifying service rendered by the employee and the last basic pay & Grade pay received.

A full bench of Supreme Court has declared in their historical judgment that PENSION is to live from want in one's fall of life with decency,

independence and self respect and at a standard equivalent at the preretirement level. Pension is not a bounty payable on the sweet will and pleasure of the Government. Right to superannuation including its amount is a valuable right vesting in a government servant. [D.S.Nakara Vs. UOI 1983 1 SLJ]

Further, different Central Pay Commissions have declared that Pension is statutory, inalienable, legally enforceable right of retired employees and it has been earned by the sweat of their brow.

4.2 Types of Pension

4.2.1 **Superannuation Pension**

It is granted to such of those employees who retire on attaining the age of superannuation fixed by the Government i.e., 60 years.

4.2.2 Retiring Pension

An employee who retires or retired prior to his/her attaining the age of superannuation shall be granted retiring pension. The pension will be sanctioned in full on putting in a qualifying service of 20 years and above.

4.2.3 Invalid Pension

Railway Servants who retire from service on account of any physical or mental infirmity which permanently incapacitates him/her to continue in service will be sanctioned invalid pension. For sanctioning it, the employee has to submit a medical certificate from a duly constituted medical authority.

4.2.4 Compensation Pension

It is granted when a railway servant is discharged from his duties on account of abolition of his permanent post, unless he is appointed to another post which is equal to his existing post. The employee has the option of accepting such an alternative post offered to him and continue in service duly counting his past service for pension.

4.2.5 **Compulsory Retirement Pension**

Employees who are undergoing penalty and are retired on compulsory measure as a penalty can be granted compulsory retirement pension. This pension has to be authorized by the competent authority who is empowered to impose the penalty of compulsory retirement.

4.2.6 Compassionate Allowance

It is sanctioned to a Railway servant who is dismissed or removed from service subject to a maximum of two-thirds of the Superannuation Pension or Gratuity or both. The employees who are dismissed or removed are not entitled for normal pension and gratuity.

5.0 QUALIFYING SERVICE

5.1 It means service rendered by the employee while on duty or otherwise, which shall be taken into account for the purpose of pension and gratuity. The maximum qualifying service for reckoning pension/gratuity is 20 years.

5.2 The following will constitute qualifying service:

- Duty and periods treated as 'Duty'.
- Pensionable Service rendered under state/central Govt./ without any interruption prior to appointment to Railways.
- All kinds of leave with pay.
- Period of deputation to other Central/State Government or Public Sector Undertakings. In the case of PSUs, only if Foreign Service Contribution is paid, such service can be counted.
- > Training period.
- Joining time.
- Extraordinary leave taken on medical grounds.
- ➤ Military service rendered before employment in Railways subject to conditions stipulated in this regard.
- > 50% of the casual labour service rendered after attaining temporary status (to be restricted from 1.1.1961 in the case of open line casual labour and from 1.1.1981 in the case of project casual labour).
- ➤ Substitute service on completion of 3 months in case of teachers and 4 months in other cases provided that such service is followed by absorption in regular service without any break.

5.3 The following will not qualify for pension:

- Extraordinary leave taken other than on medical grounds
- Service rendered before attaining the age of 18 years Period of unauthorised absence.
- Suspension, if not regularised.
- Dies non.
- Period of foreign service where Foreign Service Contribution is not paid.

5.4 Rounding off of Qualifying Service

- Less than 3 months- Ignored
- ➤ More than 3 months but less than 9 months- ½ year
- More than 9 months One year.

6.0 HOW PENSION IS CALCULATED?

6.1 Pension shall be calculated at 50% of the last Pay (pay in the Pay Band + Grade Pay) drawn by the employee at the time of his/her retirement or 50% of the average emoluments, whichever is more. The minimum pension granted to a Railway Servant is ₹ 3500/- per month.

Formula for Non-Running Staff:

Basic Pension= Pay in Payband + Grade Pay+Dearness Relief

Formula for Running Staff:

In case of Running Staff, pay element shall also include 55% of the pay for reckoning emoluments. Hence Basic Pension:

= (Pay in Pay Band + Grade Pay)+(55% of Pay in the Pay Band + Grade Pay) + Dearness Relief

6.2 Dearness Relief is paid basing on the basic pension to the employee which varies from time to time. This payment of dearness relief is based on the amount of pension sanctioned originally without reducing the commuted value.

7.0 WHO ARE ELIGIBLE FOR PENSION?

- 7.1 Permanent employees who retire on superannuation/ voluntary retirement/invalidation or are retired having a qualifying service of not less than 10 years
- 7.2 Temporary employees who retire on superannuation or invalidation after a qualifying service of not less than 10 years or who retire voluntarily after a qualifying service of 20 years or more.

8.0 COMMUTATION OF PENSION

8.1 Employees who are retiring on superannuation / voluntary retirement can commute upto 40% of the pension, without medical examination. This is a lumpsum payment. In case of medical unfitness / compulsory retirement as a measure of penalty and for those who have not applied for commutation within one year from the date of their retirement, this would be payable after medical examination. The application for commutation should be made within one year from the date of issue of retirement order.

8.2 How is it calculated?

The lump-sum commutation value will be arrived at by multiplying the commuted portion of pension by a factor relevant to age next birthday x 12.

Formula

40% of Pension x 12 x commuted value as on age as on next birthday (i.e. on 61 years age)

Illustration

If the employee's basic monthly pension is `3500/- and due for retirement on 31.12.2011 after attaining the age of 60 years The employee can commute up to 40% of his/her pension as under:

40% of ₹ 3500 x12 x 8.194 = 1400 x 12 x 8.194 = ₹ 1,37,659/-

Age next birthday	Commutation value expressed as No. of year's purchase	Age next birthday	Commutation value expressed as No. of year's purchase	Age next birthday	Commutation value expressed as No. of year's purchase
20	9.188	41	9.075	62	8. 093
21	9.187	42	9.059	63	7.982
22	9.186	43	9.040	64	7.862
23	9.185	44	9.019	65	7.731
24	9.184	45	8.996	66	7.591
25	9.183	46	8.971	67	7.431
26	9.182	47	8.943	68	7.262
27	9.180	48	8.913	69	7.083
28	9.178	49	8.881	70	6.897
29	9.176	50	8.846	71	6.703
30	9.173	51	8.808	72	6.502
31	9.169	52	8.768	73	6.296
32	9.164	53	8.724	74	6.085
33	9.159	54	8.678	75	5.872
34	9.152	55	8.627	76	5.657
35	9.145	56	8.572	77	5.443
36	9.136	57	8.512	78	5.229
37	9.126	58	8.446	79	5.018

38	9.116	59	8.371	80	4.812
39	9.103	60	8.287	81	4.611
40	9.090	61	8.194		

8.3 Restoration of commuted value of pension

The pensioner is entitled to apply to the pension disbursing authority for restoration of the commuted value of pension with effect from the date of completion of 15 years from the actual date when commutation was effected.

NOTE: Commutation has no effect on Family Pension. In case of demise of the employee before completion of 15 years, the family gets full family pension as per entitlement without any deduction towards commuted amount in the employee's pension.

(R.B. Lr.No. F(E) III / 87 / PN / 1 / 7 dated 26.3.1987)

8.4 The quantum of pension/family pension available to the old pensioners/family pensioners shall be increased as follows:

Age of Pensioners/Family pensioner	Additional quantum of pension
From 80 years to less than 85 years	20% of revised basic Pension/ Family pension
From 85 years to less than 90 years	30% of revised basic Pension/ Family pension
From 90 years to less than 95 years	40% of revised basic Pension/ Family pension
From 95 years to less than 100 years	50% of revised basic Pension/ Family pension
100 years or more	100% of revised basic Pension/ Family pension

9.0 FAMILY PENSION

It is a social security benefit paid monthly to the surviving widow/widower or minor child/parents wholly dependent on a Railway servant in the case of death of the employee irrespective of whether death occurs during service or after retirement. This is also payable to families of removed/dismissed employees if they were in receipt of compassionate allowance at the time of death. Post retiral spouse is also eligible for family pension.

9.1 **Calculation of Family Pension**

The amount of family pension is calculated @ 30% of pay (Pay in the Pay Band + Grade Pay) subject to a minimum of ₹ 3,500/- plus dearness relief admissible from time to time. Qualifying service is irrelevant for sanction of family pension at normal rates.

- 9.2 The period for which enhanced family pension payable to the family of a railway servant who dies in service, is extended to ten years without any upper age limit. Family pensioners in receipt of enhanced family pension on 01.01.06 are also covered under this provision.
- 9.3 Entitlement of Family Members to receive Family Pension
- 9.3.1 Widow/Widower including judicially separated wife till her/his death or remarriage, whichever is earlier.
- 9.3.2 Son/unmarried daughter (equal shares in the case of twins) upto the age of 25 years in the order of their birth. The family pension payable to the son or daughter shall stop if he or she starts earning monthly income exceeding `2550/.
- 9.3.3 If there are more than one legally wedded wives, to all the wives, in equal shares and on the death of one widow, her share will be payable to her eligible children, failing which, to the other widow in full.
- 9.3.4 Parents till death if no surviving family member i.e., either wife or children is left behind by the Railway servant.

9.3.5.1 Missing employee

In case of employees whose whereabouts are not known and could not be traced after filing FIR in the Police Station of their jurisdiction/for the place where the employee disappeared, family pension can be paid to the eligible family members after waiting for one year.

- 9.3.5.2 In case if the employee is traced and returns after the settlement dues paid and commencement of payment of pension, he/she should repay the amounts received by the family members and report back to duty with the approval of the competent authority as per the extant rules and on completion of formalities as prescribed.
- 9.3.5.3 The family of the missing employee has to submit the following documents in support of their claim:
 - Copy of FIR filed.

- Certificate issued by the Police Department stating that in spite of all efforts made, the missing employee could not be traced.
- Indemnity Bond duly signed by two serving Railway employees in the prescribed proforma.
- Affidavit stating that in case the employee is traced, the payments received by the family members shall be repaid to the administration and also swearing that the information submitted is true.

10.0 RETIREMENT GRATUITY

10.1 It is a lumpsum payment granted to a Railway servant or his/her nominee on his/her retirement or medical invalidation.

10.2 How is it calculated?

10.2.1 Railway employee who has completed 5 years of qualifying service is entitled for retirement gratuity. The gratuity depends upon the qualifying service and the last pay and grade pay drawn by the employee. It is calculated at the rate of half of the emoluments for each completed six monthly period of qualifying service subject to a maximum of sixteen and half times the emoluments and the total amount should not exceed ₹ 10,00,000/- (Rupees Ten lakhs). The entire gratuity will be withheld in case the employee does not vacate the railway accommodation provided to him.

10.2.2 Formula for Non-Running Staff

Gratuity = $(Pay in the Pay Band + Grade Pay + DA) \times Qualifying Service/2.$

Illustration

If an employee is retiring with 33 years qualifying service and his Basic Pay is ₹ 16,050 in pay band ₹ 9,300-34,800 with GP ₹ 4,600, current DA @ 58% (as on 01.07.2011) @ ₹ 11,977/-

Retirement Gratuity ₹ (16,050+4,600+11,977) x 33/2 = ₹ 32,627 x 16.5=₹ 5,38,345.50 i.e. rounded off to next rupee = ₹ 5,38,346/-

10.2.3 Formula for Running Staff

In case of Running Staff, 30% of Basic Pay will be treated as Pay rating the Running Allowance. Dearness Allowance as on the date of retirement shall be paid on the basic pay + the pay element of the Running Allowance i.e., 30% of the Basic Pay.

*Pay = Pay + 55% of Pay

^{**} DA = (Pay + 30% of Pay) x DA as on the date of retirement

Illustration

If an employee is retiring with 33 years qualifying service and his Basic Pay is $\stackrel{?}{_{\sim}}$ 18,660 in pay band $\stackrel{?}{_{\sim}}$ 9,300-34,800 + GP $\stackrel{?}{_{\sim}}$ 4,200, current DA @ 58% (as on 01.07.2011) @ $\stackrel{?}{_{\sim}}$ 13,259/-

Retirement Gratuity ₹ (18,660+4,200+12,573)+ 17,236 x 33/2 = ₹ 52,669 x 16.5=₹ 8,69,038.50 i.e. rounded off to next rupee = ₹ 8,69,039/-

In case of Death Gratuity:

If a Railway servant dies while in service, the amount of death gratuity shall be paid to the family in the manner indicated in the Table below:

S.No.	Length of qualifying service	Rate of gratuity
(i)	Less than one year	2 times of emoluments
(ii)	One year or more but less than 5 years	6 times of emoluments
(iii)	5 years or more but less than 20 years	12 times of emoluments
(iv)	20 years or more	Half of emoluments for every completed six monthly period of qualifying service subject to maximum of 33 times emoluments provided that the amount of death gratuity shall in no case exceed ₹ 10,00,000/-

10.3 Recoveries from Gratuity

Government dues, if any, could be recovered from the retirement gratuity or Death gratuity of an employee even without obtaining his/her consent and in the case of a deceased employee, without obtaining consent of the members of his/her family. (Authority: Rule 15 of RSPR 1993)

11.0 PROVIDENT FUND

This is paid to the employee at the time of retirement from his/her own contribution together with interest thereon. The employee can exercise nomination to avoid delay in settlement in the event of his/her unfortunate death. He/she can nominate one or more persons for receiving the PF amount. In case, he/she nominates more than one person, percentage of shares to be paid to each should also be indicated. (Authority: Rule 941 R-I).

12.0 LEAVE ENCASHMENT

Leave salary is a lumpsum onetime payment of the unavailed leave at credit at the time of retirement or death. This is limited to the maximum of 300 days of LAP.

In case any short fall of 300 days LAP, LHAP from his/her credit will be taken for the purpose of leave encashment to the extent of shortfall of number of days of LAP. Accordingly the amount towards shortfall of LAP is equivalent to half pay.

Formula:

 $\frac{(\text{Basic Pay} + \text{Grade Pay} + \text{DA})}{30} \quad \text{X} \quad \text{No. of Days of LAP}$

<u>Illustration</u>: If an employee is retiring with pay of ₹ 16050 in payband ₹ 9300-34800 with GP ₹ 4600 with current DA @ 58% (as on 1.07.2011) and 300 days LAP at credit, the amount calculated will be as follows:

₹ 16050 + 4600 + 11977/30 x 300 = (₹ 32627)/30 x 300 **= ₹ 3,26,270/**-

13.0 CENTRAL GOVERNMENT EMPLOYEES GROUP INSURANCE SCHEME

- 13.1 Group Insurance Scheme came into effect from 01.01.1982. It has become compulsory for the employees who joined Railway service after 01.11.1980.
- 13.2 Rates of subscription per month shall be ₹ 15/- for Group D, ₹ 30/- for Group C, ₹ 60/- for Group B and ₹ 120/- for Group A. The employee joining service shall be enrolled as a member of the scheme on the next anniversary of the scheme i.e. 1st January of the year following the year of joining Railway service. The subscription is partly credited to an insurance fund and partly to a savings fund. From the Insurance fund, an amount of ₹ 15,000/-, ₹ 30,000/-, ₹ 60,000/- and ₹ 1,20,000/- respectively is payable to the families of Group D, C, B and A in the event of death of the Railway employee while in service. From the savings fund, an amount equal to the portion of subscription credited to the fund together with interest thereon will be returned to the employee on cessation of their employment. In cases of death, apart from the Insurance amount, the family will also be paid Savings Fund accumulation as mentioned above. On promotion of an employee from one group to another, the subscription at the higher rate shall be recovered from 1st of January of the year following the year of promotion. Upto 31st December of the year of promotion, the employee shall continue to be covered by the insurance scheme as applicable to the group before promotion. Higher rate of subscription will be recovered even if the employee is reverted. The subscription is apportioned between insurance fund and savings fund @ 30% and 70% respectively, with effect

from 1.1.1988. (Authority: Railway Board's Lr.No. PC III / 86 / GIS / 4 dt. 16.2.1988 and PC III/89/GIS/1 dated 19.9.1989)

13.3 Insurance amount cannot be withheld and no Government dues can be recovered except the amount claimed by the financial institutions as due from the employee on account of HBA.

14.0 RETENTION OF QUARTERS

14.1 The permissible period for retention of Railway accommodation in the event of retirement is as under:

14.1.3 In case of Retirement

Retired employee including voluntarily retired employee can be permitted to retain the Railway accommodation for the first 4 months on payment of normal rent/ flat rent of license fee and for the next 4 months on educational or medical grounds on payment of special license fee (i.e) double the normal rent/ flat rate of licence fee/rent subject to production of requisite certificate in support of the request.

(Authority Rly.Board's letter No.E(G)2000/CR1/23 dt.30.11.2000)

14.1.4 In case of Death

The family of Railway employee who dies while in service can be permitted to retain the Railway accommodation for a period of 2 years on payment of normal rent/ flat rent of license fee.

(Authority Rly.Board's letter No.E (G) 98/CR1/11 dt.17.8.99)

14.2 Regularisation of Railway Quarters

The retiring Railway employee can however get the Railway quarter regularised in favour of his/her son/daughter who is also Railway employee at the time of his/her retirement provided, (a) the son/daughter lived in the Railway quarters for at least 6 months duly foregoing house rent allowance and (b) the son/daughter is also eligible for the type of quarters being shared. However, married daughter and daughter in-law are not eligible for regularisation/out of turn allotment of Railway Quarters

15.0 MEDICAL FACILITIES:

15.1 Retired Employees Liberalised Health Scheme (RELHS) – 1997

In terms of Railway Board's letter no. 97/H/28/1 dated 23.10.1997, retired Railway employees covered under RELHS-97 will be provided with full medical facilities as admissible to serving employees under the Railway Medical Attendance Rules. This scheme is also open to spouses of the Railway employees who die in harness. Definition of "family" for the purpose of this scheme will be the same as in respect of the serving Railway employees. The definition of the "Dependents" will also be the same as in Pass Rules. FOR JOINING RELHS-97, ONE TIME CONTRIBUTION EQUAL TO THE LAST MONTH'S BASIC PAY WILL HAVE TO BE MADE AT THE TIME OF RETIREMENT BY THOSE OPTING TO JOIN THE SCHEME. The payment can be made in cash or by an authorisation to deduct from gratuity. Those who joined RELHS-97 shall hold identity cards with photographs of all the beneficiaries.

15.2 With effect from 1.12.1997, Pensioners are entitled to a medical allowance of ₹ 300/- per month if they are residing outside the City/Municipality/Town where the Railway Hospital/Health Unit/Dispensary is situated. It is in lieu of out patient treatment and admissible irrespective of possession of medical card.

16.0 POST RETIREMENT BENEFITS

16.1 Composite Transfer Grant

In the event of retirement, the Railway employee and his family and in the event of death of the employee, his family members are eligible for Composite Transfer Grant (CTG) to settle down at places other than the last station on duty located at a distance of more than 20 Kms. Application for CTG should be submitted within one year from the date of retirement/death. Power to condone delay beyond one year and upto two years wrests with AGM.

16.2 **Special Pass**

One set of free pass may be issued to retiring Railway employee or in the event of demise to the person or persons entitled to receive payment of settlement dues when called for the purpose of receiving such payment. The Class of Pass to which he/she was entitled on privilege account before retirement/death is applicable in this case.

16.3 Settlement Pass

Railway employee, in the event of retirement or widow/widower in the event of death of the employee, may be issued Passes for self and family members/dependent relatives for the transportation of personal effects to the place where he/she intends to settle after retirement/death. Application for settlement passes should be submitted within one year from the date of retirement/death of the employee.

16.4 Post Retirement Complimentary Pass

16.4.1 Those who have completed 20 years of service or more but less than 25 years

iii. Group 'C' & 'D' : 1 set iv. Group 'A' & 'B' : 2 sets

16.4.3 Those who have completed above 25 years of service

iii. Group 'C' : 2 sets iv. Group 'A' & 'B' : 3 sets

17.0 POST RETIREMENT ISSUES

17.1 Service certificate

Both Gazetted and Non-gazetted employees are issued service certificate in prescribed proforma. This certificate consists details viz., date of birth, date of appointment, date of retirement, post, pay band & grade pay, PPO number, etc. On the backside of this certificate, detailed calculation of Pension, Gratuity, Commutation, Encashment of leave, etc., is s of This certificate may be used later while making various applications for benefits after retirement.

17.2 Payment of pension through Bank

The amount of pension can be credited in the account of the pensioner, if he is maintaining an account in his/ her sole name with any Branch of Public Sector bank. The pension cannot be drawn through bank in a joint account. All Railway pensioners (except those drawing through Post Office) in any part of the country can draw their pensions through any branch of the nominated banks.

17.3 Life certificate

Life certificate should be furnished to the Pension Disbursing Authority by pensioner in the month of November every year. A certificate regarding Non-employment or employment / re-employment in a department, office, company, corporation, autonomous body or registered society of State or Central Govt. etc is also required to be furnished to the Pension Disbursing Authority in the month of November every year in the prescribed form.

(Authority: Board's Lr.No. F(E) III / 88 / PN-1 dt. 9.8.1988)

Group 'A 'officers are required to furnish a declaration within two years of retirement regarding acceptance /non-acceptance of a commercial employment or employment under any Government outside India. Until the production of non-employment/ employment/re-employment certificate by the pensioner/family pensioner, the element of dearness relief shall not be disbursed.

(Authority: Board's Lr.No. F(E)III/88/PN1/21 dt. 5.5.92)

18.0 IN THE EVENT OF DEATH OF EMPLOYEE IN SERVICE WHAT THE PARTY SHOULD KNOW?

18.1 Payment of Immediate Relief (Funeral Advance in case of death of the employee while in service)

An amount equal to 3 months basic pay or ₹ 15,000 whichever is less is payable as funeral advance to the family of an employee who dies while in service. This amount is recoverable from the Gratuity payable. (Authority: Rly.Board's Lr.No. E(W)98/WE/6/8 dt. 5.8.1999)

18.2 Photographs & Family details

Photograph of husband / wife, details of family members with dates of birth and identification marks, death certificate in original, legal heir ship certificate, guardianship certificate (in case both husband / wife are dead and children are minor), Permanent Residential Address, and SB account number, name of the bank, place etc., for drawal of family pension are to be kept ready for speedy process of settlement papers

19.0 **POINTS TO BE REMEMBERED**.

- 19.1 Entire Gratuity will be withheld for non-vacation of Quarters and if any departmental or judicial proceedings are pending.
- 19.2 Disbursement through Post Office would be permitted only in places where branches of Public Sector Bank are not available
- 19.3 Family Pension is payable in the order of date of birth of the children irrespective of male or female.
- 19.4 Length of qualifying service of over 9 years and 9 months but less than 10 years, will be reckoned as completed 10 years of service.
- 19.5 Pension Payment Order is a valuable document containing a running account of pensionary entitlement. It is to be kept in safe custody.
- 19.6 All Pension/gratuity and Dearness Relief are payable in Indian currency and in India only. Fraction, if any, will be rounded off to the next higher Rupee.
- 19.7 No employee can earn two pensions in the same service/post at the same time or by the same continuous service. However, there is no bar to an employee drawing more than one pension on account of separate spells of employment qualifying for separate pension or due to a combination of pension and Family pension or civil & military pension.
- 19.8 Pension / Family Pension is payable upto and including the day on which its recipient dies.
- 19.9 Grant of Pension and its continuance is subject to future good conduct of the Pensioner.
- 19.10 Pension finally authorised cannot be revised to the disadvantage of the pensioner except to correct a clerical error.
- 19.11 Government dues are adjustable against Gratuity or dearness relief.

- 19.12 Pension cannot be attached/seized etc for any demand against a pensioner nor can a pensioner make any assignment in anticipation of pension.
- 19.13 If a pensioner is convicted of a serious crime or is found guilty of grave misconduct or negligence, pension may be withheld or withdrawn fully or partly for a specified or indefinite period. Recovery from pension may also be made for any pecuniary loss caused to the Government.
- 19.14 Documents to be supplied to the retired employees at the time of retirement:
 - Pension Payment Order
 - Medical Identity Card
 - Family Identity Card for Post Retirement Complimentary Pass.
- 3.5 **Exemption from Income-Tax**: The following Retirement/Death benefits are fully exempted from Income-Tax:
 - ➤ Death-cum-Retirement Gratuity Clause 10 of Sec.10 of I.T. Act.
 - Commutation Value Sub-clause (i) of Clause (10-A) of Section 10 of I.T. Act.
 - Cash equivalent of unutilised leave Sub-clause (i) of Clause (10-AA) of Section 10 of I.T. Act.

Employee's co-operation with the Personnel Branch is vital to ensure timely payment of settlement dues.

South Central Railway

PAYMENT OF PROVIDENT FUND

(Payee's letter of Authority for payment by Post Money Order/Cheque/Bank Draft) To.

The Financial Adviser & Chief Accounts Offi	cer,
Railway.	
Dear Sir,	
I request that my Provident Fund,	special contribution to provident fund
or/and gratutity moneys may be remitted t	to me by postal money order or by
cheque/bank draft on	bank sent by registered post at the
following address.	
I agree that the remittance made in the	ne aforesaid manner shall be at my sole

I agree that the remittance made in the aforesaid manner shall be at my sole risk and shall be a complete discharge of Government from all liability on the money being remitted by money order or in the cheque or bank draft being

amount.			
	Yours faithfully		
Station			
Date	_ (Signature or Left thumb impression) Designation:		
	Department:		
Full name of the payee			
Father's Name			
Full Address			
	RECEIPT		
Received from	the		
sum of rupees	in full and		
final satisfaction my claim to the	Provident Fund Amount/Special Contribution to		
Provident Fund Gratuity.			
	(Signature or Left Thumb		
	impression of payee)		
Full Addross			

Date _____

forwarded by registered post, as the case may be. I enclose herewith a receipt for the

LIFE CERTIFICATE

Certified that I have seen the p	ensioner Shri/Smt.
who is *Physically	handicapped son/daughter, minor son,
unmarried/ divorcee/ widowed daugl	hter, child born after retirement, post
retirement spouse, wholly dependen	t parent, disabled sibling, any other
category (may be specified of Shri/Sı	mt
Original Pension Holder of the PPO	No
and that he / she is alive on this date. (Tick the correct)
Signature of Pensioner Place:	Signature

* * *